प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :22.08.2025

आदेश पारित किया गया : 11.09.2025

विविध दाण्डिक प्रकरण सं 5539/2025

1 – कवासी लखमा पिता लेफ्टिनेंट श्री हद्मा लखमा 66 वर्ष निवासी 134, ऑफिसर्स कॉलोनी धरमपुरा रायपुर छत्तीसगढ़ 492001 (वर्तमान में केंद्रीय जेल रायपुर सी. जी.) में न्यायिक अभिरक्षा में)

---आवेदकगण

बनाम

1 – प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल सुभाष स्टेडियम मोती बाग रायपुर छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक (ओं) हेतु	:	श्री हर्षवर्धन परगनिहा, अधिवक्ता
उत्तरवादी हेतु	:	डॉ. सौरभ कुमार पांडे, अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

सी. ए. वी. आदेश

आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस') की धारा 483 के तहत जमानत याचिका दायर की है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय (ईडी) द्वारा दिनांक 11.04.2024 को दर्ज ईसीआईआर आरपीजेडओ/04/2024 के संबंध में पीएमएलए, 2002 की धारा 03 और 04 के तहत अपराधों के लिए जमानत की मांग की गई है।

वास्तविक पहलूः

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा जमानत पर रिहाई के लिए दायर किया गया पहला आवेदन है और इसी तरह का कोई अन्य आवेदन न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।इससे पहले, आवेदक ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 483 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 और 65 के तहत आवेदन दायर करके रायपुर स्थित विशेष न्यायालय

(पीएमएलए) के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। उक्त आवेदन दिनांक 20.06.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. आवेदक को प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 15.01.2025 को ईसीआईआर संख्या आरपीजेडओ/04/2024 दिनांक 11.04.2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत कथित उल्लंघन का आरोप है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है। आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड साफ है और इस मामले से पहले उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। हालांकि, उसे एफआईआर संख्या 04/2024 दिनांक 17.01.2024 में आरोपित किया गया है, जिसका अन्वेषण पहले से ही चल रही है।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार,

क) यह आरोप है कि 2019 से 2002 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़े पैमाने पर गिरोह सक्रिय था, जो सरकारी लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में व्यवस्थित रूप से शामिल था, जिससे शराब बनाने वालों से अवैध कमीशन प्राप्त हो रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ख) यह भी अभिकथित किया गया है कि उक्त गिरोह के संचालन से भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित हुआ, जिसे उसके सदस्यों में वितरित किया गया और उच्च पदस्थ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत देने में भी इस्तेमाल किया गया।

ग) आवेदक पर आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने कथित तौर पर आबकारी विभाग के कामकाज पर पूर्ण नियंत्रण रखा और एफएल–10 ए लाइसेंसिंग नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

घ) यह भी अभिकथित गया है कि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों से भलीभांति अवगत होने के बावजूद, आवेदक ने सारा दोष अधिकारियों, अर्थात् अरुणपति त्रिपाठी (तत्कालीन प्रबंध निदेशक, सीएसएमसीएल) और श्री निरंजन दास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़) पर मढ़ने का प्रयास किया

ङ) यह भी अभिकथित गया है कि आवेदक को कथित शराब सिंडिकेट की अवैध कमाई से प्रति माह 2 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे और उसके पास अपराध से प्राप्त 72 करोड़ रुपये की संपत्ति है।इसलिए वर्तमान जमानत याचिका अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा रही है।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आधार :–––

5. आवेदक के अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं:

1. झूठा आरोप और राजनीतिक प्रतिशोध:यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को बाहरी राजनीतिक कारणों से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट, मनमाने और केवल सह–

आरोपियों और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर आधारित हैं, जबकि आवेदक को कथित अपराध से सीधे जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र, ठोस या विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है।

2. वर्तमान ईसीआईआर का पंजीकरण विधि का दुरुपयोग है।प्रथम, वर्तमान ईसीआईआर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एबी) द्वारा दिनांक 17.01.2024 को दर्ज की गई एफआईआर संख्या 04.2024 के आधार पर पंजीकृत की गई है, जो स्वयं पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत गैर–आवेदक द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर ही दर्ज की गई थी।द्वितीय, प्रवर्तन निदेशालय, कानून के अनुसार, किसी मूल अपराध को दर्ज कराने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता की भूमिका नहीं निभा सकता है।ऐसा कृत्य पीएमएलए, 2002 के वैधानिक ढांचे के अंतर्गत परिकल्पित नहीं है और यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो यह "अनुसूचित अपराध" की अवधारणा को ही निरर्थक बना देगा। तीसरा, यह वर्तमान ईसीआईआर कथित "शराब घोटाले" के संबंध में दूसरा है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (क्रिमिनल) संख्या 153/2023 यश तुतेजा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 08.04.2024 को पारित आदेश को दरकिनार करने के इरादे से पंजीकृत किया गया है, जिसमें ईसीआईआर संख्या आरपीजेडओ/11/2022 में दायर अभियोजन शिकायत को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि कोई अनुसूचित अपराध मौजूद नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रत्यक्ष साक्ष्य की कोई वसूली नहीं हुई:इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के कब्जे से कथित तौर पर प्राप्त किसी भी “अपराध की आय” की बरामदगी नहीं हुई है।अभियोजन पक्ष का मामला मुख्यतः अनुमानों, अटकलों और दस्तावेजी निष्कर्षों पर आधारित है।यह सर्वविदित विधि है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है।

4. आरोप पत्र दाखिल करना तथा अन्वेषण पूरी करना:यह तर्क दिया गया है कि मूल अपराध (एफआईआर संख्या 04/2024) के लिए आरोप पत्र विशेष न्यायालय (पी.सी. एक्ट), रायपुर में 30.06.2025 को पहले ही दाखिल किया जा चुका है।इसी प्रकार, पीएमएलए कार्यवाही में, तीसरी पूरक अभियोग शिकायत भी 12.03.2025 को दाखिल की जा चुकी है।अतः अन्वेषण लगभग पूरी हो चुकी है और आवेदक को आगे अभिरक्षा में रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

5. जमानत संबंधी न्यायशास्त्र और स्वतंत्रता का अधिकार – संविधान का अनुच्छेद 21:–– उन्होंने तर्क दिया है कि आवेदक 15.01.2025 से हिरासत में है और बिना विचारण के लंबे समय तक कारावास झेल चुका है।यह सर्वविदित विधि है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1369) मामले में दोहराया है,

कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।विचारपूर्व हिरासत दंडात्मक प्रकृति की नहीं हो सकती है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।ऐसी

प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष तथा तर्कसंगत होनी चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित जमानत पर न्यायशास्त्र लगातार यह मानता है कि जमानत नियम है तथा जेल अपवाद है।उन्होंने गुडिकंती नरसिम्हुलु बनाम पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (1978) 1 एससीसी 240 के मामले पर भरोसा जताया है, जिसमें न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वतंत्रता से वंचित करना बाध्यकारी कारणों से उचित होना चाहिए और जमानत आमतौर पर दी जानी चाहिए।दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 3 एससीसी 22 में यह देखा गया है कि स्वतंत्रता एक अनमोल संवैधानिक मूल्य है और दोषसिद्धि से पहले सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।विचारण से पहले कारावास को निवारण या दंड के उपाय के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब आरोपी के फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना न हो।

6. कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं:आवेदक के वकील का तर्क है कि वर्तमान राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों को छोड़कर, आवेदक की कोई पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।उनका सार्वजनिक अभिलेख बेदाग है, उन्होंने संवैधानिक और मंत्रिस्तरीय पदों पर गरिमापूर्ण ढंग से कार्य किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. आवेदक की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं:आवेदक ने अन्वेषण में हर समय पूर्ण सहयोग दिया है। दिसंबर 2024 में, उनके आवास पर तलाशी और जब्ती के दौरान, उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी सभी समनों का अनुपालन किया है। हालांकि ईसीआईआर अप्रैल 2024 में पंजीकृत किया गया था और 19.06.2024 को एक अभियोजन परिवाद दर्ज की गई थी, जिसके बाद 30.08.2024 को दो पूरक अभियोजन परिवाद दर्ज की गईं, फिर भी इस अवधि के दौरान आवेदक को किसी भी स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया गया।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विलंबित स्तर पर उसकी गिरफ्तारी को प्रभावित करके आवेदक की स्वतंत्रता में कटौती करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी।आवेदक ने अन्वेषण में समस्त चरणों में पूरा सहयोग किया है।अन्वेषण अधिकारियों द्वारा जब भी बुलाया जाता था, समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा स्पष्टीकरण पूरी तरह से प्रस्तुत किए जाते थे।इस बात की कोई आशंका नहीं है कि आवेदक या तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या साक्षीयों को प्रभावित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी को सामान्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब आरोपी ने जांच में सहयोग किया हो।सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) 10 एससी 51 के मामले में **यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गिरफ्तारी यांत्रिक नहीं होनी चाहिए; जमानत नियम है और कारावास अपवाद है।**

इसी प्रकार,

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गिरफ्तारी केवल तभी की जानी चाहिए जब यह बिल्कुल आवश्यक हो; जहां आरोपी सहयोग कर रहा हो, वहां गिरफ्तारी न करना ही सामान्य नियम है।पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2019) 9 एससी 24 के

मामले मेंयह देखा गया कि पीएमएलए के तहत आर्थिक अपराधों में, गिरफ्तारी को "आवश्यकता" परीक्षण को पूरा करना चाहिए और जहां सहयोग दिया जाता है वहां हिरासत में पूछताछ उचित नहीं है।

8. जमानत को नियंत्रित करने वाले तय किए गए सिद्धांतःसर्वोच्च न्यायालय ने संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 मामले में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है और सजा के तौर पर हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।वर्तमान मामले में, आवेदक जमानत दिए जाने के सभी मानदंडों को पूरा करता है।इन स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में आवेदक की गिरफ्तारी अनुचित और अनुपातहीन है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

9. सह–आरोपियों के साथ तुलनात्मक कठिनाई और समानता:आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि सह–आरोपी अरुण पति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनिल तुतेजा और अरविंद सिंह को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जिनकी स्थिति समान है और उन पर एक जैसे आरोप हैं।और आवेदक के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जा सकता या उसे निरंतर कारावास के लिए अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा करना समानता और निष्पक्ष विचारण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।यह एक स्थापित सिद्धांत है कि **समान परिस्थितियों वाले सह–आरोपियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि** दीपक कुमार रात्रे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001 एससी ऑनलाइन छत्तीसगढ़ 40) में कहा गया है, समानता विवेकाधिकार का मामला नहीं बल्कि न्यायिक औचित्य का मामला है।अतः समानता के सिद्धांत के आधार पर, आवेदक को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।5. वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, आवेदक को निरंतर कारावास में रखना किसी भी वैध उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।संक्षेप में, आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क) वे लोक सेवक और राज्य विधान सभा में कई बार सेवा दे चुके एक प्रतिष्ठित निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
ख) उन्होंने न तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है और न ही साक्षीयों को प्रभावित किया है।
ग) अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनसे पहले ही लंबी पूछताछ की जा चुकी है।
घ) सह–आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

ङ) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जमानत देना आवश्यक है।सामग्रियों (साक्षी के बयान और दस्तावेजों सहित) का विस्तृत, गहन और सूक्ष्म विश्लेषण विचारण हेतु विषय है।जमानत देने के चरण में, न्यायालय को लघु विचारण नहीं चलाना चाहिए या गुण–दोष की बारीकी से जांच नहीं करनी चाहिए और उसे केवल प्रथम दृष्ट्या विचार तक ही सीमित रहना चाहिए तथा साक्ष्यों की स्वीकार्यता में नहीं पड़ना चाहिए।

स्वयं उत्तरवादी/ईडी के बारे में जवाब दें

6. ईडी के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि लघु विचारण पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि न्यायालय को जमानत पर निर्णय पारित करने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक सामग्री को नजरअंदाज कर देना चाहिए।न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक सामग्री पर विचार करना चाहिए, और वास्तव में करना ही चाहिए, कि क्या i) प्रथम दृष्टया आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली कोई सामग्री मौजूद है ii) क्या आरोपी के उकसावे पर भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना है iii) क्या मामले की असाधारण विशेषताएं वैधानिक योजना के तहत जमानत से इनकार करने का औचित्य साबित करती हैं।

इन सीमित उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सामग्री का सीमित और केंद्रित अवलोकन अनुमेय और उचित है।

7. वर्तमान मामले में, यह निवेदन किया जाता है कि ईडी को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत अन्वेषण करने का अधिकार है।हालांकि, अनुसूचित अपराधों के संबंध में, इनकी जांच अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्राधिकार की पुलिस या अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा ही की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदन लाल चौधरी (उपरोक्त) मामले में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह संभव है कि किसी विशेष मामले में भारी मात्रा में अघोषित संपत्ति की खोज के बाद, अधिकृत अधिकारी को संबंधित क्षेत्राधिकार की पुलिस को (2002 अधिनियम की धारा 66(2) के तहत) अनुसूचित अपराध के पंजीकरण के लिए समवर्ती रूप से सूचना भेजने की सलाह दी जा सकती है, जिसमें यदि कोई लंबित मामला हो तो उसकी आगे की जांच भी शामिल है।"ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, संबंधित पुलिस को संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर (एफआईआर) या गैर-संज्ञेय अपराध (एनसी मामला) के रूप में मामला दर्ज करना अनिवार्य होगा।यदि इस प्रकार सूचित किया गया अपराध अनुसूचित अपराध है, तो केवल उसी स्थिति में अधिकृत अधिकारी द्वारा बरामद संपत्ति को 2002 अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय माना जाएगा, जिससे वह इस संबंध में अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही कर सकेगा।"

8. उपरोक्त के आलोक में, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि:

i) उत्तरवादी एजेंसी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत सूचना साझा करने मात्र को अवैध या अनुचित नहीं माना जा सकता है।यह सूचना प्रसार की प्रकृति है।

ii) सूचना प्राप्त करने वाले प्राधिकारी (यहाँ, ईओडब्ल्यू/एसीबी, छत्तीसगढ़) को ऐसी सूचना का आकलन करने और एफआईआर दर्ज करने या आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्धारित करने का पूर्ण स्वतंत्र विवेक प्राप्त है।

iii) इसलिए, आवेदक का यह तर्क कि ईडी ने अपना खुद का विधेय अपराध "बनाया" है, पूरी तरह से गलत है।एफ़. आई. आर. सं. 04/2024 का पंजीकरण प्रकट किए गए संज्ञेय अपराधों के आधार पर अपनी वैधानिक शक्तियों के तहत अधिकार क्षेत्र वाली पुलिस का एक स्वतंत्र कार्य है।

9. उपरोक्त सिद्धांत को संविधान पीठ के ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1984) 2 एससी 500 के निर्णय से भी समर्थन मिलता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कि "कोई भी आपराधिक कानून को लागू कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां क़ानून इसके विपरीत संकेत देता है।"

10. इस प्रकार, पीएमएलए, 2002 की धारा 66 (2) का उद्देश्य संवैधानिक पीठ के फैसले के साथ पूर्णतः सुसंगत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ईडी द्वारा जांच के दौरान प्राप्त खुफिया जानकारी व्यर्थ न जाए, बल्कि सामान्य आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई के लिए सक्षम पुलिस प्राधिकरण को सौंपी जा सके।

11. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को लागू कर सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां अपराध को अधिनियमित करने वाला कानून इसके विपरीत संकेत देता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की योजना में आपराधिक अपराधों का संज्ञान लेने के लिए दो समानांतर और स्वतंत्र एजेंसियों की परिकल्पना की गई है।हत्या जैसे सबसे गंभीर अपराध के मामले में भी, यह निर्विवाद है कि निजी शिकायत न केवल दर्ज की जा सकती है, बल्कि कानून के अनुसार उस पर सुनवाई और कार्यवाही भी की जा सकती है।इस प्रकार, शिकायतकर्ता की कानूनी स्थिति (लोकस स्टैंडी) आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपरिचित अवधारणा है, सिवाय उन मामलों के जहां अपराध को परिभाषित करने वाला कानून स्वयं शिकायतकर्ता के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित करता है।ऐसे मामलों में, सामान्य सिद्धांत स्वतः ही लागू नहीं होता है।आगे यह निवेदन किया जाता है कि संबंधित पुलिस स्टेशन या प्रासंगिक कानून प्रवर्तन प्राधिकरण को साझा की गई जानकारी को स्वीकार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का दायित्व है, बशर्ते यह मानने का उचित कारण हो कि संज्ञेय अपराध हुआ है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी 1 के फैसले पर भरोसा किया जाता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15491 के तहत पुलिस को दी गई सूचना में संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।"

12. उत्तरवादी के अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि आवेदक ने दावा किया है कि आवासीय परिसर में हाल ही में की गई तलाशी में, सिंडिकेट के कथित अवैध संचालन से उसे मासिक आधार पर प्राप्त होने वाली कोई बड़ी नकद राशि जब्त नहीं की गई है।यह तर्क भ्रामक है और इसका पुरजोर खंडन किया जाता है। उत्तर में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि:

i) नकद की बरामदगी न होने मात्र से आवेदक बरी नहीं हो जाता, क्योंकि पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में छुपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना, उपयोग करना या प्रदर्शित करना स्वयं अपराध है।

ii) पीएमएलए के तहत अपराध केवल नकदी की भौतिक बरामदगी तक सीमित नहीं है; इसमें हवाला चैनलों, बेनामी लेनदेन और तृतीय पक्ष खातों सहित अप्रत्यक्ष माध्यमों से अपराध की आय के लेनदेन और जमा करना भी शामिल है।

iii) आवेदक के खिलाफ आरोप केवल हाथ में मौजूद नकदी तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध शराब नीति संचालन को सक्षम बनाने, सुगम बनाने और उससे लाभ उठाने में उसकी भूमिका तक विस्तारित है, जिससे धारा 3 का व्यापक दायरा लागू होता है।

13. इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने अपने इस तर्क में कि उसे ईसीआईआर के पंजीकरण की तारीख से आठ महीने की अवधि तक तलब नहीं किया गया था और इसलिए उसकी हिरासत में पूछताछ कभी भी उचित नहीं थी, पूरी तरह से गलत और निराधार है।पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति समन जारी करने की आवृत्ति या अवधि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अधिकृत अधिकारी के पास मौजूद सामग्री के आधार पर इस बात की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अधिनियम के तहत अपराध का दोषी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उनका कहना है कि गिरफ्तारी का समय पूरी तरह से जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में है, जो जांच के चरण, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य को नष्ट होने से बचाने या साक्षीयों को प्रभावित करने की आवश्यकता से निर्देशित होती है।अतः आठ महीने की अवधि को इस बात की स्वीकृति नहीं माना जा सकता कि अभिरक्षा में पूछताछ अनुचित थी।

15. इसके अलावा, आवेदक द्वारा तीसरी पूरक अभियोग शिकायत दाखिल करने पर भरोसा करना निराधार है। स्वयं कानून में पीएमएलए, 2002 की धारा 44(1)(बी) के तहत जांच जारी रखने का प्रावधान है और केवल यह दर्ज करना कि वर्तमान आवेदक की भूमिका के संबंध में जांच "पूर्ण" हो गई है, उसके या अन्य लोगों के खिलाफ आगे की जांच की संभावना को समाप्त नहीं करता है।इस प्रकार, उसकी अभिरक्षा उचित बनी हुई है।
16. ईडी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत इस दलील का विरोध करते हुए कि वर्तमान मामले में उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाला कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, इसे पूरी तरह से निराधार मानते हुए स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है।

i) आवेदक की गिरफ्तारी विश्वसनीय सामग्री औरअन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों पर आधारित थी, जिससे अपराध की आय के शुद्धिकरण में उसकी सक्रिय भूमिका का पता चलता है।

ii) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलालचौधरी (उपरोक्त) मामले में दोहराया गया यह स्थापित कानून है कि ईडी को पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, बशर्ते अधिकृत अधिकारी के पास अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति अधिनियम के तहत अपराध का दोषी है और इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गया है।

iii) यह आवश्यक नहीं है कि जांच एजेंसी के पास गिरफ्तारी के समय दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सामग्री हो; बल्कि, कानून केवल यह मांग करता है कि प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री मौजूद हो जो आरोपी को अपराध की आय के शुद्धिकरण से जोड़ती हो।

iv) आवेदक का तर्क पीएमएलए द्वारा परिकल्पित सीमा से अधिक उच्च सीमा को लागू करने का प्रयास करता है और इसलिए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

17. इसके बाद यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि उनके आवासीय परिसर में तलाशी के दौरान कोई नकदी जब्त नहीं की गई, तो इसका उत्तर यह होगा कितलाशी के दौरान नकदी की भौतिक जब्ती न होने से पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध को नकारा नहीं जा सकता है।धारा 2(1)(u) के अंतर्गत "अपराध से प्राप्त आय" की परिभाषा केवल नकदी तक सीमित नहीं है; इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कोई भी संपत्ति शामिल है, चाहे वह संपत्ति धन के रूप में हो या नहीं। ii)अन्वेषण से पता चला है और दिनांक 12.03.2025 की अभियोजन शिकायत में अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में आवेदक की सक्रिय भूमिका और अपराध से प्राप्त आय पर उसके कब्जे, उपयोग और प्रदर्शन का उल्लेख है।इकट्ठी की गई सामग्री से यह सिद्ध होता है कि आवेदक गिरोह के अवैध संचालन का लाभार्थी था, जिससे वह अधिनियम की धारा 3 के दायरे में आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iii) आगे यह निवेदन किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ (2024) लाइव लॉ (एससी) 617 मामले में स्पष्ट रूप से कहा है किधन शोधन का अपराध तभी सिद्ध किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष निम्नलिखित बातें प्रदर्शित करे:

1. अनुसूचित अपराध का किया जाना,

2. ऐसी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति, और

3. अपराध की ऐसी आय से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में अभियुक्त की संलिप्तता।

iv) उत्तरवादी विभाग ने वर्तमान मामले में उपरोक्त सभी मूलभूत आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।इसलिए, आवेदक के आवास से पर्याप्त नकदी बरामद न होने मात्र से वह अधिनियम के तहत दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है।

18. अतः, आवेदक के उपरोक्त तर्क अस्वीकृत किए जाते हैं।इस मामले की जांच से एक बिल्कुल अलग तथ्यात्मक स्थिति सामने आई है:अब तक एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि आवेदक कथित शराब घोटाले से प्राप्त अपराध की आय को मनी लॉन्ड्रिंग करने में सक्रिय रूप से शामिल था।इसमें शामिल आय पहले से ही अभिलेख में रखे गए आंकड़ों से कम नहीं है (तथा जिसकी अन्वेषण का विस्तार तथा पता लगाना जारी है)

19. उत्तरवादी ने दस्तावेज , अभिलिखित बयानों तथा अन्य सामग्री के आधार पर, पीएमएलए के तहत अभियोजन हेतु आवश्यक तीन मूलभूत तथ्यों को सफलतापूर्वक स्थापित किया हैः

(क) अनुसूचित अपराध करना;

बी) ऐसी आपराधिक गतिविधि (अपराध की आय) से प्राप्त संपत्ति/मूल्यों का अस्तित्व; तथा

सी) ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रियाओं/गतिविधियों में आवेदक की भागीदारी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवादी द्वारा पहले से ही भरोसा की गई दस्तावेजी तथा बयान के साथ संलग्न हुए बिना आवेदक द्वारा संलिप्तता से इनकार–जमानत के स्तर पर दिन नहीं ले जा सकता है।यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि दोषारोपण करने वाली सांठगांठ को सामग्री (धारा 50 के तहत बयान तथा अन्य दर्ज किए गए साक्षीयों, वित्तीय प्रविष्टियां तथा लेनदेन परीक्षण, अन्वेषण के दौरान जब्त किए गए समकालीन दस्तावेज तथा अन्य पुष्टिकारक सामग्री) के संयोजन द्वारा दिखाया जाता है जो एक साथ आवेदक की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य का गठन करते हैं।

16.अपराध की शेष आय के पूर्ण विस्तार तथा स्थान की अन्वेषण जारी है।यह इंगित करने के लिए विश्वसनीय सामग्री है कि आगे की संपत्ति/आय का पता लगाया जाना बाकी है।यदि आवेदक को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो एक वास्तविक निकटवर्ती जोखिम है कि वह साक्षीयों को प्रभावित करके, दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करके या संपत्ति के अपव्यय को सुविधाजनक बनाकर अन्वेषण को विफल कर सकता है–जब तक कि सख्त तथा कठिन शर्तें लागू नहीं की जाती हैं।

20. इन कारणों से, उत्तरवादी प्रस्तुत करता है कि आवेदक ने वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में पीएमएलए के तहत जमानत देने हेतु आवश्यक दोहरी शर्तों (जैसा कि उसने अनुरोध किया है) हेतु पूरा नहीं किया है।

21. इसके अलावा, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम महिमानंद मिश्रा के मामले में, आपराधिक अपील संख्या 1175/2018 से संबंधित मामले में, अनिल

(2017) 12 एससीसी 129 पर भरोसा करते हुए, जमानत आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्धारित मापदंडों को दोहराया है।न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित कियाः

यह अब सर्वविदित है कि जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, आरोपों की गंभीरता, आरोपी की स्थिति और रुतबा, आरोपी के न्याय से भागने और अपराध दोहराने की संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्यायालयों को बाधित करने की संभावना, साथ ही आरोपी का आपराधिक इतिहास।यह सर्वविदित है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मामले की गहन जांच–पड़ताल नहीं करनी चाहिए।अभिलिखित से समस्त यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।"

उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों तथा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आलोक में, उत्तरवादी प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामला वह है जहां न केवल आवेदक के विरुद्ध एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, परंतु वह भी है जहां धारा 45 के तहत वैधानिक प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. आवेदक का यह तर्क कि वह "ट्रिपल टेस्ट" (यानी कोई उड़ान जोखिम नहीं, साक्ष्य ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं तथा गवाहों को प्रभावित नहीं करना) को संतुष्ट करता है, गलत तथा असमर्थनीय है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. एम. एल. ए., 2002 के तहत तिहरे परीक्षण की संतुष्टि जमानत देने हेतु पर्याप्त नहीं है। आवेदक को पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 45 के तहत लगाई गई दोहरी शर्तों को भी पूरा करना होगा, अर्थात्ः

(क) यह विश्वास करने हेतु उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; तथा

ख) कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।वर्तमान मामले में, आवेदक इनमें से किसी भी वैधानिक सीमा को पूरा करने में विफल रहता है।अन्वेषण में पहले ही पता चला है कि कई करोड़ रुपये की पी. ओ. सी. के धनशोधन में उसकी सक्रिय संलिप्तता है।यदि इस स्तर पर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह अत्यधिक संभावना है कि आवेदक शेष पी. ओ. सी. को सफेद करेगा, छिपाएगा या अलग कर देगा जिससे चल रही अन्वेषण निराशाजनक हो जाएगी तथा पी. एम. एल. ए. के उद्देश्य को विफल कर देगा।

23. वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक ने जानबूझकर विधि की उचित प्रक्रिया से खुद को बचाने के इरादे से अवशेष पी. ओ. सी. को छुपाया है।इस तरह का छिपाना न केवल पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन–शोधन का अपराध है, परंतु आपराधिक गतिविधि जारी रखने के बराबर है जो अधिनियम के तहत कार्यवाही की प्रभावशीलता को सीधे कमजोर करता है।

24. इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक एक मौजूदा विधायक तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री हैं, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव बनाए हुए हैं तथा राज्य के सर्वोच्च नौकरशाही तथा राजनीतिक हलकों तक उनकी पहुंच है।इन परिस्थितियों से यह प्रबल और तर्कसंगत आशंका उत्पन्न होती है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपने पद का दुरुपयोग करके गवाहों को प्रभावित करेगा, सरकारी अभिलेखों में हेरफेर करेगा और महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।धन शोधन के मामलों में, जहां अपराध स्वाभाविक रूप से दूषित धन को छिपाने और प्रदर्शित करने से जुड़ा होता है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका कहीं अधिक होती है।इसलिए स्वतंत्रता के संभावित दुरुपयोग का अनुमान उचित है और इसे मात्र एक आरोप मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है।आवेदक ने संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 का हवाला दिया है, जो पूरी तरह से गलत है।उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी के तहत एक सामान्य आपराधिक अभियोजन पर विचार किया है। इसके विपरीत, वर्तमान मामला पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत आता है, जो धन शोधन और आर्थिक अपराधों की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है, जो देश की वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. यह सर्वविदित कानून है कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी के अपराध हैं, जिनमें गहरी साजिशें और सार्वजनिक धन की भारी हानि शामिल होती है, और इन्हें अलग गंभीरता से देखा जाना चाहिए।(वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई (2013) 7 एससीसी 439 के मामले में)।इस प्रकार, संजय चंद्र मामले में प्रतिपादित सिद्धांत पीएमएलए 2002 की धारा 45 की कठोरता को कम नहीं कर सकता है।

26. इसी प्रकार, पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2020) 13 एससीसी 791 के मामले पर भरोसा करना भी भ्रामक है।सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में स्पष्ट रूप से दोहराया है कि आर्थिक अपराधों के अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित पर गंभीर प्रभाव को देखते हुए, इनसे निपटने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।आवेदक के मामले का समर्थन करने के बजाय, यह निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि आर्थिक अपराधों में जमानत देने पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

27. यह निवेदन किया जाता है कि अभियुक्त एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने शराब घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।उसके राजनीतिक कद और प्रभाव को देखते हुए, इस बात की गंभीर और तत्काल संभावना है कि वह जमानत पर रिहा होने पर चल रहीजांच में हस्तक्षेप करने, महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।ओडिशा उच्च न्यायालय ने मोहम्मद आरिफ बनाम प्रवर्तन निदेशालय, बीएलएपीएल संख्या 2607/2020 में धन शोधन के अपराध के प्रभाव का वर्णन करते हुए, इसे "वित्तीय आतंकवाद" का कृत्य बताया है, जो न केवल देश की वित्तीय प्रणाली बल्कि राष्ट्र की अखंडताऔर संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है।न्यायालय ने आर्थिक अपराधों के मामलों में जमानत से इनकार करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत दृष्टिकोण को दोहराया है। संबंधित टिप्पणी इस प्रकार है:

22. धन शोधन का अपराध वित्तीय आतंकवाद का एक कृत्य मात्र है जो न केवल देश की वित्तीय प्रणाली के लिए बल्कि राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि मनी लॉन्ड्रिंग से प्रति वर्ष लगभग 590 अरब डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की धनराशि उत्पन्न होती है, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो से पांच प्रतिशत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि आर्थिक अपराध अपने आप में विशिष्ट होते हैं क्योंकि वे समाज की नाजुक आर्थिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं।ये अपराध मानवीय चेतना में समा जाते हैं और व्यावसायिक जगत की ईमानदारी पर ही अनेक प्रश्नचिह्न लगाते हैं। इस प्रकार के अपराध जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं और अक्सर इनसे होने वाले घिनौने नुकसान की परवाह नहीं की जाती, जिसे दुर्भाग्यवश भोले–भाले छोटे निवेशकों को भुगतना पड़ता है। याचिकाकर्ता सहित इस प्रकार की विकृत योजनाओं के अपराधी, जो अपने भोले–भाले निवेशकों को स्वर्ग का वादा करते हैं, एक तरह से 'फाउस्टियन सौदे' में शामिल हो गए हैं और उन असंख्य लोगों की अनगिनत पीड़ाओं के प्रति घोर उदासीन हैं, जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है और दुख की आग में झोंक दिया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इसके अलावा, आवेदक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करना गलत है।उक्त निर्णय आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले से संबंधित था, जिसमें पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के वैधानिक प्रावधान लागू नहीं होते थे।इसके विपरीत, वर्तमान मामले में, पीएमएलए, 2002 की धारा 45(1) की दोनों शर्तें अनिवार्य हैं और जमानत से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के अतिरिक्त इन्हें पूरा किया जाना चाहिए। तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है, इसलिएसंजय चंद्र मामले का निर्णयवर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।29. आवेदक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडी/गैर–आवेदक ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पीएमएलए, 2002 की धारा 44 के तहत तीन अभियोग शिकायतें दायर की हैं, जिनमें कुल 19 आरोपी व्यक्तियों को आरोपित किया गया है और आवेदक के खिलाफ दायर की गई दिनांक 12.03.2025 की दूसरी पूरक अभियोग शिकायत 3,773 पृष्ठों के 40 दस्तावेजों पर आधारित है।इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन सामग्री की भारी मात्रा के कारण, विचारण उचित समय के भीतर शुरू या समाप्त होने की संभावना नहीं है।

30. इसी प्रकार आवेदक का तर्क है कि मूल अपराध से संबंधित अन्वेषण अभी भी जारी है और रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं पारित किया गया है।आवेदक वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, आपराधिकअपील संख्या 4011/2024 के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तर्क देता है कि अनुसूचित अपराध का विचारण पूरा होने तक पीएमएलए के तहत विचारण समाप्त नहीं किया जा सकता है।

31. उपरोक्त तर्क के जवाब में, प्रतिवादी/ईडी के वकील ने यह तर्क दिया है कि उक्त तर्क तरुण कुमार (उपरोक्त) मामले में उठाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि केवल विचारण की लंबितता या लंबी कैद पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा नहीं करती है। आवेदक को प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करना होगा कि:

i) वह कथित अपराध का दोषी नहीं है; और

ii) जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।इस वैधानिक सीमा को पार करने में विफलता, विचारण की जटिलता की अवधि की परवाह किए बिना, आवेदक को नियमित जमानत की अनुतोष से वंचित करती है।

32. इसके अलावा, आवेदक का यह तर्क कि चल रहे विचारण या लंबे विचारण के कारण उसे जमानत मिलनी चाहिए, कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।इस संदर्भ में, दिल्ली उच्च न्यायालय के दीपक तलवार बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एआईआर ऑनलाइन 2019 दिल्ली 1573 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया है और तरुण कुमार (उपरोक्त) मामले में की गई टिप्पणियों द्वारा इसे और पुष्ट किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. आगे यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 ए कुछ परिस्थितियों में जमानत न देने का प्रावधान करती है, फिर भी न्यायालय को प्रत्येक मामले के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है।धारा 436 ए के परंतुक में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि उपयुक्त मामलों में, किसी अभियुक्त की अभिरक्षा निर्धारित अवधि के आधे से अधिक समय तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं और उचित नियम एवं शर्तें लागू की जाएं ताकि अभियुक्त मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के लिए उपलब्ध रहे।

34. आर्थिक अपराध अपराधों की एक अलग श्रेणी बनाते है जिनके लिए जमानत पर विचार करते समय एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अपराध, जो अक्सर गहरी षड्यंत्र से उत्पन्न होते हैं और जिनमें सार्वजनिक धन की भारी हानि होती है, देश की वित्तीय स्थिति और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में आर्थिक अपराधों की गंभीरता पर बार–बार जोर दिया है, जिनमें शामिल हैं:

वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई (2013) 7 एससीसी 439; निम्मागड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई (2013) 7 एससीसी 466; गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (उपरोक्त); बिहार राज्य और अन्य बनाम अमित कुमार उर्फ बच्चा राय (2017) 13 एससीसी 751।

35. अतः यह निवेदन किया जाता है कि अपराध की गंभीरता, आर्थिक प्रभाव और आपराधिक कृत्यों की सुनियोजित योजना इस मामले में जमानत देने के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत करती है, और आवेदक को विलंबित सुनवाई या लंबी जांच के बहाने अपने कार्यों के परिणामों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसके

अलावा, यह सर्वविदित है कि गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में, केवल मुकदमे में देरी जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।**इस संबंध में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य, क्रिमिनल एमसी 796/221, दिल्ली उच्च न्यायालय; स्टेट ऑफ बिहार और अन्य, वी. अमित कुमार @ बच्चा राय (2017) 13 एससी 751 और सत्येंद्र कुमार जैन (उपरोक्त) के प्रकरण का भी उल्लेख किया गया है।**

36. त्वरित विचारण का अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक मूलभूत पहलू है, लेकिन यह सिद्धांत अन्वेषण या विचारण की निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकता है।वर्तमान मामले में, आवेदक एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात का वास्तविक और महत्वपूर्ण जोखिम है कि वह साक्षी को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है या किसी अन्य तरीके से अन्वेषण में हस्तक्षेप कर सकता है।ऐसे कार्यों से वास्तव में विचारण में और देरी होगी, जिससे त्वरित विचारण सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।जैसा कि गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 12024 एससीसी ऑनलाइन एससी 109 के मामले में कहा गया है, यह देखा गया है कि गंभीर अपराधों से संबंधित वाद में मात्र देरी को जमानत देने का आधार नहीं बनाया जा सकता है, यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि अपराध की गंभीरता और जांच पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव सर्वोपरि रहते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. अंत में, आवेदक का तर्क है कि कुछ सह–आरोपियों को जमानत दिए जाने से अन्य आरोपियों को स्वतः ही कोई अधिकार या समानता प्राप्त नहीं हो जाती है, विशेषकर तब जब आरोपियों के तथ्य, साक्ष्य और भूमिकाएँ काफी भिन्न होती है।वर्तमान मामले में, अन्वेषण से यह सिद्ध हो चुका है कि आवेदक ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन में मुख्य भूमिका निभाई है।अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक है और यह अपने आप में जमानत नामंजूर करने के लिए पर्याप्त है।आर्थिक अपराधों को एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत करना, ऐसे अपराधों की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव की स्पष्ट न्यायिक मान्यता है।

विचार किया गया :––

38. अभियोग संबंधी दिनांक 12.03.2025 के परिवाद, ईसीआईआर और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री सहित अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

i) अपराध की गंभीरता अत्यंत उच्च है।
आवेदक पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय को धन शोधन में संलग्न होने का आरोप है, जो राज्य के राजस्व और जनहित को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक कदाचार का संकेत है।

ii) पीएमएलए की धारा 3 और 4 के अंतर्गत आने वाले अपराध अनुसूचित अपराध हैं, और आवेदक पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत दो शर्तों को पूरा नहीं करता है, अर्थात्:

क) प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करना कि वह कथित अपराध का दोषी नहीं है;
और ख) यह सिद्ध करना कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

iii) आवेदक का राजनीतिक प्रभाव और शक्तिशाली नौकरशाही हलकों तक पहुंच काफी अधिक है, जिससे रिहाई की स्थिति में साक्ष्य से छेड़छाड़ या साक्षीयों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है।

iv) हालांकि अन्वेषण काफी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी अपराध की शेष धनराशि का पता लगाने और अन्य संबंधित पक्षों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।इस स्तर पर जमानत देना अन्वेषण प्रक्रिया में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न करेगा।v) बिहार राज्य और अन्य बनाम अमित कुमार (2017) 13 एससीसी 751, विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) और अन्य निर्णयों सहित न्यायिक मिसालें स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि आर्थिक अपराध अपने आप में विशिष्ट होते हैं और जमानत के मामले में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।ऐसे अपराधों के गंभीर और दूरगामी परिणाम निरंतर हिरासत कार्यवाही को उचित ठहराते हैं।

vi) वाद में मात्र विलंब, सह–आरोपी का जमानत पर होना या आवेदक की सार्वजनिक प्रतिष्ठा सर्वोपरि जनहित तथा अन्वेषण की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. उपरोक्त के तहत, आवेदक पीएमएलए की धारा 45 की सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।आवेदक, जो एक उच्च पदस्थ लोक अधिकारी है, पर आरोप है कि उसने 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय को मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो एक बड़े पैमाने पर शराब घोटाले से प्राप्त हुई थी।अपराध से प्राप्त शेष धनराशि का पता लगाने, अतिरिक्त सह–साजिशकर्ताओं की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्ष्य संरक्षित रहें और साक्षीयों प्रभावित न हों, अभिरक्षा में पूछताछ और प्रवर्तन विभाग की अभिरक्षा में उपस्थिति आवश्यक बनी हुई है।

40. इस स्तर के आर्थिक अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता हैजो सार्वजनिक वित्त और समाज पर व्यापक रूप से प्रभाव डालते हैं और न्यायपालिका ने राज्य के हितों तथा अन्वेषण की अखंडता की रक्षा के लिए जमानत के मामलों में लगातार सख्त दृष्टिकोण अपनाया है।कुछ सह–आरोपियों को जमानत मिल जाने को निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक आरोपी की भूमिका, संलिप्तता और जोखिम का स्तर अलग–अलग होता है और मामला विशिष्ट होता है।यद्यपि न्यायालय यह स्वीकार करता है कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, फिर भी जनहित, अपराध की गंभीरता और चल रही जांच संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं है।

41. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत लगाए गए बोझ का निर्वहन नहीं किया है। अभिरक्षा प्रतिधारण निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैः

(क) चल रही जांच में सहायता करना (ख) अपराध से प्राप्त शेष धन का पता लगाना,

(ग) साक्ष्य तथा साक्षीयों के साथ छेड़छाड़ को रोकना, और (घ) गंभीर आर्थिक अपराधों में जनहित की रक्षा करना।

निष्कर्षः

42. आवेदक आर्थिक अपराधों में जमानत देने हेतु दोहरी शर्तों तथा त्रिगुण परीक्षण दोनों में विफल रहा। अन्वेषण, साक्षी की सुरक्षा और जनहित के लिए अभिरक्षा में रखना आवश्यक है।

43. इस स्तर पर, न्यायालय आरोपों की गंभीरता, षड़यंत्र की गहराई तथा समाज के नैतिक ताने–बाने तथा वित्तीय अखंडता पर ऐसे आर्थिक अपराधों के हानिकारक प्रभाव पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। आवेदक, अपनी स्थिति के आधार पर, प्रशासनिक तथा राजनीतिक तंत्र में काफी प्रभाव रखता है।इस समय जमानत पर उनकी रिहाई से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, साक्षीयों को प्रभावित करने और चल रहे अन्वेषण को बाधित करने के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप का वास्तविक और महत्वपूर्ण खतरा पैदा होता है, जो अभी तक आगे की पूरक शिकायतों को दाखिल करने के साथ समाप्त नहीं हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में पवित्र है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है।यह गंभीर आर्थिक अपराधों की निष्पक्ष, निर्बाध और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के व्यापक और बाध्यकारी जनहित के अधीन है।व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के परस्पर विरोधी दावों को संतुलित करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जमानत देने से इनकार करने के पक्ष में पलड़ा भारी है।

45. उपरोक्त चर्चा और तथ्यों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि आवेदक, जो उस समय न केवल एक लोक सेवक थे बल्कि आबकारी मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत अत्यंत गंभीर प्रकृति के अपराधों का आरोप है।राज्य के संसाधनों की रक्षा करने और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के वैध विनियमन को सुनिश्चित करने के गंभीर कर्तव्य के तहत, आवेदक पर शराब के किसी भी अवैध व्यापार को रोकने का कानूनी और नैतिक दायित्व था।इसके विपरीत, प्रथम दृष्टया साक्ष्य आवेदक की गुप्त और अवैध शराब व्यापार में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की अवैध कमाई हुई और राज्य के खजाने को भारी और अपूरणीय क्षति हुई है

46. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत समानता का तर्क आवेदक के पक्ष में नहीं आ सकता है। समानता तब लागू होती है जब अभियुक्त की स्थिति तुलनीय हो, लेकिन यह तब पूरी तरह से अनुपयुक्त है जबआवेदक की भूमिका उद्देश्य और आयाम दोनों में भिन्न है।यहाँ दोष निष्क्रिय सहमति पर आधारित नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा सक्रिय संप्रेषण पर आधारित है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध को रोकना था।विधि के प्रहरी होने के नाते, जब कोई मंत्री पद का मुखिया स्वयं कानून का प्रमुख उल्लंघनकर्ता बन जाता है, तो उसकी तुलना अधीनस्थ या गौण भूमिका वाले अन्य अधिकारियों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि साक्ष्य बताते हैं कि वह स्वयं अपराध का केंद्र बन गया था।इतने उच्च पद पर आसीन किसी पदाधिकारी द्वारा जनविश्वास का

उल्लंघन न केवल वैधानिक उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता की नींव पर भी प्रहार करता है और शासन में जनता के विश्वास को कमजोर करता है।जमानत संबंधी न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि समता का सिद्धांत, यद्यपि अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी में निहित है, निरपेक्ष या स्वचालित नहीं है (एसएलपी(सीआरएल) संख्या 9431 ऑफ 2023, तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशालय प्रवर्तन)।सह–आरोपियों को जमानत देना स्वतः ही अन्य सभी आरोपियों के पक्ष में एक अविभाज्य अधिकार उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन व्यक्तिगत भूमिकाओं, विशिष्ट आरोपों और सूक्ष्म तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

47. इस प्रकार, इतने बड़े मामले में, जहाँ सार्वजनिक पद की सत्यनिष्ठा सवालों के घेरे में है, जमानत देना समाज को एक हानिकारक संदेश देगा और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही के क्षरण को बढ़ावा देगा।

48. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के कठोर प्रावधानों को लागू करते हुए, यह न्यायालय उन्हें जमानत की विवेकाधीन अनुतोष का हकदार बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं पाता है।न्याय, नैतिकता और जनहित एक दृढ़ रुख अपनाने के लिए बाध्य करते हैं।इसलिए जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur